न्यायालय-तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न.– 9 / 18 दिनांक 9.4.18

सरकार बनाम श्रीराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपसथित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारिक पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 188 / 0.05है0 किस्म जमीन गै0मु0 श्मशान पर श्रीराम पुत्र पेमाराम जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर उक्त भूमि में से 0.025 पर शोचालय बनाकर तथा रूडी डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचना प्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतःगैरसायल श्रीराम पुत्र पेमाराम जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 188 रकबा 0.05है0 किस्म जमीन गै0मु0श्मशान में से 0.025है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बने शोचालय को ध्वस्त किया जाकर तथा रूडी को हटवाया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी का पचास गुणा 0.25 ×50 = 13रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामि, बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9-4-18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2018 .. 019.... के रा० ल०
के पृष्ठ संख्या 107 पर ..13 रू..
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली